UPET010002922009

<u>न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।</u>

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस0 टी0 संख्या–55/2009

उ0प्र0 राज्य

-----अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1–रूपराम पुत्र छंगे यादव

2–धनपाल पुत्र छंगे यादव

निवासीगण ग्राम कबार, थाना सकीट जिला एटा।

-----अभियुक्तगण

अपराध संख्या–402/2007

आरोप पत्र की धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना–सकीट, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस0 टी0 संख्या	55/2009
अपराध संख्या	402/2007
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना	सकीट
अभियुक्त	रूपराम एवं धनपाल
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री राकेश चन्द्रा, एडवोकेट श्री अचिन चन्द्रा, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	24.07.2007
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–117/2008, दिनांक 10.12.2008
प्रसंज्ञान की तिथि	09.01.2009
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	16.11.2010
निर्णय की तिथि	19–03–2026

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.03.19 16:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी0 एस 0 टी0 संख्या–55/2009 राज्य बनाम रूपराम आदि, अ 0 सं0–402/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना सकीट, जिला एटा में अभियुक्तगण रूपराम एवं धनपाल का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस 0 ओ 0 अशोक विक्रान्त थाना सकीट, जिला एटा ने दिनांक 24.07.2007 को जुबानी सूचना थाना कोतवाली नगर, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

दिनांक 24.07.2007 को वह एस 0 ओ 0 अशोक विक्रान्त मय जीप सरकारी नं0 UP82C4531 के थाना स्थानीय से वहवाले नं0 29 समय 21:15 बजे रवाना होकर वास्ते गस्त तलाश वांछित अपराधी व दविश में मामूर था। दौराने गस्त जनता के व्यक्तियों से यह जानकारी में आया कि थाना क्षेत्र में अभियुक्तगण रूपराम पुत्र छंगेलाल, धनपाल पुत्र छंगेलाल निवासीगण–कबार, थाना सकीट, जिला एटा का एक सक्रिय गैंग है, जिसका लीडर रूपराम उपरोक्त है। यह लोग भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के तहत अवैध धन अर्जित करने हेतु हत्या जैसे जघन्य अपराध संगठित शसस्त्र गिरोह बनाकर करते है। इनका सामान्यजन में भय व आतंक व्याप्त है। इनके भय व आतंक के कारण सामान्य जनता का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध आवाज उठाने व गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। इनका स्वछन्द रहना जनहित में उचित नहीं है। यह गैंग थाना क्षेत्र के अतिरिक्त जनपद के सरहदी थाना एवं सीमावर्ती जिलों में जघन्य अपराध करते हैं। इस गैंग के गैंगलीडर एवं सदस्यों का आपराधिक इतिहास निम्नवत हैः– रूपराम उपरोक्त मुकदमा संख्या 79/1991, धारा 307 भा0 दं0 सं0 थाना सकीट जिला एटा, अपराध संख्या–74/93, धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 बी भा0 दं0 सं0, अपराध संख्या–14/2006 धारा 3 यू0 पी0 गुण्डा एक्ट थाना सकीट, अपराध संख्या 368/2007 धारा 307 भा0 दं0 सं0, अपराध संख्या 735/2001 धारा 448, 352, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 25 आयुध अधिनियम तथा धनपाल पुत्र छंगेलाल मुकदमा संख्या–79/1991, धारा 307 भा0 दं0 सं0 थाना सकीट जिला एटा, अपराध संख्या–74/93, धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 बी भा0 दं0 सं0 का अभियोग है। अपराध संख्या 385/2002, धारा 4/10 एफ 0 एक्ट, थाना सकीट जिला एटा, अपराध संख्या 118/2004 धारा 4/10 एफ 0 एक्ट थाना सकीट, अ 0 सं0 368/2007 धारा 307, 506, 324 भा0 दं0 सं0 थाना सकीट जिला एटा अभियुक्तगण का उपरोक्त आपराधिक इतिहास दृष्टिगत रखते हुए इनके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी निषेधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इनका गैंगचार्ट अनुमोदितशुदा उस एस०ओ० के पास है, जो दाखिल करता है।

3– अ 0 सं0–79/91, धारा 307 भा0 दं0 सं0, थाना सकीट जिला एटा बनाम रूपराम एवं धनपाल, अपराध संख्या 74/93, धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 बी, भा0 दं0 सं0 बनाम रूपराम, अपराध संख्या 14/2006 धारा 3 यू0 पी0 गुण्डा एक्ट थाना सकीट बनाम रूपराम, अपराध संख्या 368/2007 धारा 307, 504, 324 भा0 दं0 सं0 बनाम रूपराम एवं धनपाल, अपराध संख्या 348/2007, धारा 324, 325 भा0 दं0 सं0 बनाम रूपराम, अपराध संख्या 735/2001 धारा 448, 352, 504, 506 भा0 दं0 सं0 बनाम रूपराम तथा अपराध संख्या 385/2002, धारा 4/10 एफ 0 एक्ट, थाना सकीट जिला एटा बनाम धनपाल, अपराध संख्या 118/2004 धारा 4/10 एफ 0 एक्ट थाना सकीट बनाम

धनपाल के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ0सं0–402/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम रूपराम एवं धनपाल के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–02** दिनांक 24.07.2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–31, समय 23:50 बजे **प्रदर्श क–03** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण रूपराम एवं धनपाल के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–8** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–5**, दिनांकित 10.12.2008 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट, आगरा द्वारा दिनांक 09.01.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रूपराम एवं धनपाल के विरूद्ध धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 16.11.2010 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 06 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01	उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–02	एच0 सी0 पी0 50 दिनेश बाबू	तत्कालीन सी0 सी0 अ०सं०–402/2007
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03	सेवानिवृत्त एच0 सी0 सालिगराम	तत्कालीन सी०सी० अ०सं०–368/2000
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04	विनोद कुमार	स्वतंत्र साक्षी
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–05	निरीक्षक हरिकेश	विवेचक अ०सं०–402/2007
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–06	उपनिरीक्षक राममूर्ति	तत्कालीन सी०सी० अ०सं०–118/2004

7– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**

1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी0 डब्लू0–01 वादी उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त
2	चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अपराध संख्या 402/2017	प्रदर्श क–02	पी0 डब्लू0–01 वादी उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त
3	जी0 डी0 रपट नं0–33	प्रदर्श क–03	पी0 डब्लू0–02 एच 0 सी0 पी0 50 दिनेश बाबू
4	एफ 0 आई 0 आर 0 अपराध संख्या 368/2000	प्रदर्श क–04	पी0 डब्लू0–03 सेवानिवृत्त एच 0 सी0 सालिगराम
5	आरोप पत्र संख्या 117/2008, अ०सं०–402/2007	प्रदर्श क–05	पी0 डब्लू0–05 विवेचक निरीक्षक हरिकेश राय
6	एफ०आई०आर० मु0 अ 0 सं0 118/2004, धारा 4/10 वन अधिनियम	प्रदर्श क–06	पी0 डब्लू0–06 उपनिरीक्षक राममूर्ति
7	एफ०आई०आर० अपराध संख्या 385/2002	प्रदर्श क–07	पी0 डब्लू0–06 उपनिरीक्षक राममूर्ति
8	अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश	प्रदर्श क–08	पी0 डब्लू0–06 उपनिरीक्षक राममूर्ति

8– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 05.02.2026 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 के कथानक को गलत तथा अभियोग गलत पंजीकृत कराना व झूँठी विवेचना करके गलत पंजीकृत कराना बताया गया है। पी0 डब्लू0–02 के कथानक को गलत दर्ज करना बताया है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 एवं साक्षी पी0 डब्लू0–04 के कथानक को गलत दर्ज करना व उक्त मुकदमें में बरी होना कहा है। साक्षी पी0 डब्लू0–05 के कथानक को झूँठी विवेचना गतल तथ्यों पर करते हुए गलत आरोप पत्र देना बताया है। पी0 डब्लू0–06 के कथानक को झूँठा मुकदमा करना व बरी होने का कथन करते हुए झूँठी विवेचना करते हुए गलत आरोप पत्र प्रेषित करना बताया है। अभियोग को रंजिशन के कारण चलना बताया गया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए कहा कि वे भले व्यक्ति हैं तथा खेती का काम करते है तथा दोनों सगे भाई है।

9– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 90 ब/1 से अ०सं०–79/1991, धारा 307/34 भा०दं०सं०, थाना गंजडुण्डवारा, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र

परीक्षण संख्या–673/1992 राज्य बनाम छंगे आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 21–07–1995 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/3 लगायत 90ब/4, अ०सं०–74/1993, धारा 147, 302/149 भा०दं०सं०, थाना रिजोर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–828/1994 राज्य बनाम ध्रुवा उर्फ ध्रुव कुमार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 29–03–1997 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/6 लगायत 90ब/8, अ०सं०–368/2007, धारा 307, 323, 323/34, 506 भा०दं०सं०, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–458/2008 राज्य बनाम रूपराम आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 05–10–2009 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/10 लगायत 90ब/13, अ०सं०–348/2007, धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बन्धित दाण्डिक वाद संख्या–805/2012 राज्य बनाम वदन सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 17–07–2013 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/15 लगायत 90ब/17, अ०सं०–735/2001, धारा 448, 352, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा से सम्बन्धित आरोप पत्र, नकल बयान पी०डब्लू0–01 एवं नकल आदेश दिनांकित 09–02–2026 की प्रमाणित छायाप्रतियॉ क्रमशः कागज संख्या 90ब/19, 90ब/21 व 90ब/23 दाखिल किया गया है तथा फेहरिस्त 91ब/1 से अ०सं०–14/2006, धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बंधित वाद संख्या–120/2011 राजय बनाम रूपराम में पारित आदेश दिनांकित 11–04–2011 की प्रति कागज संख्या 91ब/2 दाखिल किया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

11– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम **साक्षी पी0 डब्लू0–01 वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.07.2007 को वह थानाध्यक्ष सकीट के पद पर नियुक्त था। अवलोक व क्षेत्रीय जानकारी से पाया कि रूपराम पुत्र छंगेलाल निवासी ग्राम कबार, थाना सकीट गैंग बनाकर अपराधिक कृत्यों में लिप्त है तथा अपने साथी धनपाल के साथ निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु धन अर्जित करने के लिए अपराधिक कृत्यों से लिप्त है, जिसके आधार पर उसने गैंगलीडर रूपराम व साथी धनपाल का गैंगचार्ट तैयार कर अधिकारियों से अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत कराया था। गैंगचार्ट पत्रावली में कागज संख्या 5अ/1 मौजूद है, हस्ताक्षर की शिनाख्त की, प्रदर्श क–01 डाला गया। गैंगचार्ट के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 24.07.2007 को थाना सकीट पर रूपराम आदि उपरोक्त के विरुद्ध अ0सं0–402/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया था, जिसकी चिक एफ0आई0आर0 मूलरूप से पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 व 4अ/2 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर गवाह ने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। इस केस के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

12– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि दिनांक 11.07.2007 को वह जी0डी0 पर रवानगी करके गया था। यह ध्यान नहीं है कि किस नम्बर की जी0डी0 पर इन्द्राज करके किस समय गया था। गांव कबार से सम्बन्धित भी अभियोग पंजीकृत है। उनके गवाह व वादी से जानकारी ली थी। अन्य क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व चौकीदारों से जानकारी की थी। इस समय ग्राम प्रधान का नाम ध्यान नहीं है। किसी भी चौकीदार व चपरासी का नाम ध्यान नहीं है। एफ०आई०आर० दर्ज कराते समय वह थानाध्यक्ष सकीट के पद पर तैनात था। एफ०आई०आर० दर्ज कराने से पहले गैंगचार्ट अधिकारियों से अनुमोदित कराया था। उसने अभियोग पंजीकृत कराने की पूर्व उसके संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि गैंगचार्ट में

उल्लिखित अभियोग में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं। यह जानकारी करने का प्रयास किया था कि अभियोगों की अद्यतन स्थिति क्या है, तो न्यायालय में विचाराधीन होना पाया था। उसे जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमें अ0सं0 79/1991, 74/1993, 385/2002, 118/2004, 14/2006, 368/2007 व 348/2007 अदालत से छूट चुके है। उसके संज्ञान में नहीं है कि धनपाल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह थाना सकीट क्षेत्र में लगभग तीन माह नियुक्त रहा था। इन तीन माह में उसने इनकी गतिविधियाॅ खराब देख ली थी। उसने गैंगचार्ट दिनांक 11.07.2007 को बनाया था। उसके समय में दोनों अभियुक्तगण पर मात्र दो मुकदमें सन् 2007 में दर्ज हुए थे। यह कहना गलत है कि उसने कारगुजारी दिखाने के लिए व गांव की पार्टीबन्दी के कारण एक पक्ष से मिलकर झूॅठी एफ०आई०आर० थाना पर दर्ज की है। यह कहना गलत है कि रूपराम व धनपाल ने आपराधिक कृत्य न किया है। यह कहना भी गलत है कि उनका कोई गैंग नहीं है। यह कहना सत्य है कि कि अभियुक्तगण पर लूट, डकैती व रंगबाजी का कोई मुकदमा थाना पर दर्ज नहीं है। यह कहना गलत है कि वह आज झूॅठी गवाही दे रहा है।

13– अभियोजन **साक्षी पी0 डब्लू0–02 एच०सी०पी० दिनेश बाबू** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.07.2007 को वह थाना सकीट पर सी0 सी0 के पद पर तैनात था। समय 23:50 बजे उसने थानाध्यक्ष अशोक विक्रान्त को थाना क्षेत्र से थाने पर वापसी व इनकी जुबानी पर दाखिल गैंगचार्ट पर उसने मु0 अ0 सं0 402/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट रूपराम आदि 2 नफर की चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–2 किता की थी, जिसका खुलासा कायमी जी0 डी0 नं0 31 समय, दिनांक उपरोक्त में उसके द्वारा किया गया था, प्रदर्श क–02 उसके लेख हस्ताक्षर में है, जिसे वह पुनः प्रमाणित करता है। कायमी जी0 डी0 की असल प्रोसेस की कार्बन कॉपी पत्रावली पर उपलब्ध है, जो संलग्न है, जो उसके लेख में है, अपने लेख की तस्दीक करता है, इस पर प्रदर्श क–03 डाला गया।

14– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि इस केस के वादी थानाध्यक्ष थाना सकीट थे। उन्होने ही इस मुकदमें को थाने पर पंजीकृत कराया था। वह थाने पर उनका मातहत था। अपने थानाध्यक्ष के आदेश का पालन करना उसका कर्त्तव्य होता है। यह कहना गलत है कि उसने अपने थानाध्यक्ष का पालन करते हुए उनके कहने से गलत रिपोर्ट लिख ली है, जिस रोज इस घटना की रिपोर्ट लिखी गयी थी, उस रोज इस रिपोर्ट को लिखने से पूर्व या बाद में कोई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखी गयी अथवा नहीं लिखी गयी, बिना जी0 डी0 देखे नहीं बता सकता। जी0 डी0 आज उसके सामने नहीं है, चूंकि वह नष्ट हो चुकी है। यह कहना गलत है कि उसने अपने कर्त्तव्य का सही पालन न करते हुए थानाध्यक्ष के कहने पर गलत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

15– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–03 साक्षी सेवानिवृत्त एच0 सी0 सालिगराम** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वर्ष 2007 में थाना सकीट पर कां० क्लर्क के पद पर तैनात था। दिनांक 08.07.2007 को वादी विनोद कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम कबार, थाना सकीट की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण रूपराम, धनपाल व सुलह सिंह के विरुद्ध धारा 307, 323, 506 भा0 दं0 सं0 की एफ०आई०आर० दर्ज किया था, जिस पर अ0 सं0–368/00 अंकित किया गया और इसका इन्द्राज थाने के रोजनामचाआम में उसी वक्त किया था। उस एफ०आई०आर० की फोटो कॉपी पत्रावली पर संलग्न है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह तस्दीक करता है, प्रदर्श क–04 डाला गया। विवेचक ने उससे पूछताछ की थी। उसका बयान लिया था।

16– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि अपराध संख्या 368/2007 की चिक एफ०आई०आर० उसके द्वारा किता की गयी थी। उसे नहीं मालूम ये मुकदमा न्यायालय से छूट गया है अथवा नहीं। आज वह थाने से उस रोज की जी0डी0 लेकर नहीं आया है, इस कारण वह नहीं बता सकता कि इस मुकदमें को लिखने के रोज कोई संज्ञेय, असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट इससे पूर्व अथवा बाद में दर्ज हुई अथवा नहीं। उसकी जानकारी में नहीं है कि जो व्यक्ति विनोद कुमार रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, उसकी उम्र के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा न ही उसके उसने कोई चोटें देखी थी। वह रिपोर्ट थानाध्यक्ष की मौजूदगी मे अथवा गैर मौजूदगी में लिखी गयी थी, उसे ध्यान नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि वादी ने रिपोर्ट थाने पर ही बैठकर पुलिस वालों की सलाह मशविरा से लिखी थी अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस के दबाव में तथा विनोद कुमार का पुलिस का मेली होने के कारण झूॅठी रिपोर्ट लिखी है। यह सत्य है कि इस केस का वादी विनोद कुमार घटना के समय होमगार्ड में तैनात था तथा उसकी नियुक्ति थाना सकीट पर उसके साथ ही थी। यह कहना गलत है कि थाने में झूॅठी गवाही दे रहा है।

17– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–04 साक्षी विनोद कुमार** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण रूपराम व धनपाल उसके गांव के है। आज से लगभग 13 वर्ष पहले की घटना है। इन लोगों से हम लोगों की आपस में मारपीट हो गयी थी। घटना सुबह की है। गोली उसकी मॉ को लगी थी। सूरजपाल उसका भाई और भतीजा भगवान सिंह को रिपोर्ट उसने थाना सकीट में करायी थी। रिपोर्ट उसने इनके खिलाफ नामजद करायी थी। दरोगा जी ने उस मुकदमें में भी उसका बयान लिया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में भी दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

18– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण रूपराम व धनपाल उसके गांव के है। इन्होंने उसकी मॉ हरदेवी, भाई सूरजपाल, भतीजा भगवान सिंह उर्फ बॉबी की व अन्य परिवारीजन की कोई मारपीट घटना वाले दिन नहीं की थी तथा न ही ये लोग उसने मौके पर देखे थे तथा न ही तमंचे से कोई फायर इन लोगों द्वारा किया गया था। उसने गांव वालों के बहकावे में आकर इस घटना की रिपोर्ट रूपराम, धनपाल व सुलह सिंह के विरुद्ध कर दी थी, जबकि सत्यता यह है कि ये दोंनो लोग मौके पर नहीं थे तथा उसका ये केस अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 7 एटा की अदालत से दिनांक 05.01.2009 को छूट चुका है। इसमें सभी अभियुक्तगण बरी हो चुके है।

19– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–05 विवेचक निरीक्षक हरिकेश राय** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.07.2008 को थाना रिजोर पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहा था। अपराध संख्या 402/2007 थाना सकीट धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पूर्व विवेचक थानाध्यक्ष त्रिवेन्द्र सिंह के स्थानान्तरण होने के बाद उसके द्वारा ग्रहण की गयी थी, जिसका विवरण पर्चा नं0 22 में उसके द्वारा किया गया। दिनांक 08.08.2008 को पर्चा नं0 23 किता किया गया, जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी सी0डी0 का विवरण अंकित किया गया। दिनांक 03.09.2008 में गवाह विनोद का मजीद बयान लिया गया। दिनांक 25.09.2008 को गवाह विनोद कुमार व गवाह सूरज आदि का बयान लिया गया। उसके बाद विवेचना थानाध्यक्ष सकीट धीरज प्रसाद सिंह द्वारा विवेचना ग्रहण की गयी, जिनके द्वारा आरोप पत्र संख्या 117/2008 दिनांक 10.12.2008 को अभियुक्तगण रूपराम व धनपाल पुत्रगण छंगेलाल यादव निवासी कबार थाना सकीट के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो एस0ओ0 धीरज प्रसाद के लेख हस्ताक्षर में आरोप पत्र पत्रावली में 3अ संलग्न है। वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

20– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि इस मुकदमें में सर्वप्रथम विवेचक वह था। उसके द्वारा पाच पर्चे किता किये गये थे, जिनमें वादी मुकदमा अशोक विक्रान्त कां० क्लर्क दिनेश बाबू, विनोद कुमार व सूरजपाल के ब्यान अंकित किए थे। अशोक विक्रांत उसके बराबर रैंक के ही पुलिस अधिकारी थे। इस समय उसे नहीं मालूम कि वह रिटायर्ड हो चुके है अथवा नहीं। इस केस की जिन–जिन लोगों ने विवेचना की थी, उनमें से धीरज प्रसाद ही उससे सीनियर बैच के थे। इस केस की दोबारा विवेचना उसे मिली थी। उसने कुल पाँच पर्चे जो काटे थे, वे दोनों विवेचनाएं पूर्व व बाद के समय के थे। एस0ओ0 धीरज प्रसाद को उसने सकीट में ही लिखते–पढ़ते देखा था। जब वो एस0 ओ0 सकीट थे, तब वह दूसरे थाने में एस0ओ0 था। उसने सकीट में ही लिखते–पढ़ते देखा था। यह कहना गलत है कि उसने फर्जी विवेचना की है तथा धीरज प्रसाद के हस्ताक्षर न पहचानते हुए, जो उनके द्वारा चार्जशीट अदालत में दी गयी है, प्रमाणित कर रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूँठी गवाही दे रहा है।

21– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–06 उपनिरीक्षक राममूर्ति** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.06.2004 को वह थाना सकीट पर बतौर सी०सी० के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को वादी रामलैडेते उपाध्याय वन रक्षक क्षेत्र सकीट द्वारा नकल तहरीर हिन्दी वादी मु०अ०सं०–118/2004, धारा 4/10 वन अधिनियम बनाम धनपाल सिंह आदि 8 नफर उसके द्वारा किता की गयी थी, जो पत्रावली पर थाना सकीट की प्रमाणित छायाप्रति के रूप में मौजूद है, जिसे आज वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर रहा है, जिसकी कायमी का खुलासा जी०डी० में उक्त दिनांक को ही समय 15:30 बजे किया गया था। उक्त चिक की प्रमाणित छायाप्रति पर प्रदर्श क–06 डाला गया। उपरोक्त मुकदमा गैंगचार्ट में दर्शाया गया है। दिनांक 13.07.2002 को थानाध्यक्ष जनक सिंह परिहार द्वारा एक किता फर्द बरामदगी लकड़ी कटे हुए पीस के आधार पर अपराध सं0–385/2002, धारा 4/10 वन अधिनियम बनाम धनपाल व महावीर की चिक सी०सी० छत्रपाल सिंह ने लिखी है। छत्रपाल सिंह उसके साथ तैनात रहे है, उसने उनको कार्य करते लिखते–पढ़ते देखा है। वह उनके हस्ताक्षर एवं लेख को पहचानता है, जो पत्रावली पर प्रमाणित छायाप्रति के रूप में मौजूद है, जिसे आज वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर रहा है, पर प्रदर्श क–07 डाला गया। उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में अभियुक्तगण रूपराम व धनपाल के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने की अभियोजन स्वीकृति टाईपशुदा तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिनांक 17.12.2008 को दी गई है। वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है, जो पत्रावली पर कागज सं0 6क/1 के रूप में मौजूद है, पर प्रदर्श क–08 डाला गया। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के विवेचक स्व० धीरज प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। उसने उनको कार्य करते लिखते–पढते देखा है, वह उनके हस्ताक्षर एवं लेख को पहचानता है, जिनके द्वारा आरोप पत्र सं०–117/2008 दिनांक 10.12.2008 न्यायालय प्रेषित किया, जो पत्रावली पर प्रदर्श क–05 के रूप में पहले से मौजूद है।

22– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने केवल 4/10 वन अधिनियम की चिक किता की थी। उसके सामने माल बरामद नहीं हुआ था। जनक सिंह परिहार उसके साथ किसी भी थाने पर नहीं रहे है। उसे अभियुक्तगण के विरूद्ध हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है तथा न ही वह जनक सिंह परिहार के लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। यह कहना गलत है कि उसने 4/10 वन अधिनियम के बारे में कोई जानकारी न है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूँठी गवाही दे रहा है।

23– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू0–01 कमलेश एवं डी०डब्लू0–02 साहिल दुबे को परीक्षित कराये गये है।

24– साक्षी **डी0 डब्लू0–1** के रूप में **कमलेश** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह गांव कबार, थाना सकीट, जिला एटा का रहने वाला है। वह अपने गांव के रूपराम व उनके भाई धनपाल को भली–भांति जानता व पहचानता है। इन दोनों लोगों से अक्सर उसकी बातचीत होती है। ये दोनों भी खेती करते है तथा ये भी खेती करता है। रूपराम व धनपाल के गांव में व क्षेत्र में कोई अनैतिक गतिविधियॉ नहीं है। ये गांव में रहकर सभी लोगों से भली प्रकार बातचीत करते है तथा अनैतिक रूप से धनोपार्जन भी नहीं करते है और न ही दंगा फसाद करते है। इन पर रंजिशन रूपराम पर फौजदारी के कई केस उसके खिलाफ पार्टी एवं पुलिस ने लगा दिये थे, जिसमें धनपाल को भी कई केसों में भी मुल्जिम बना दिया था, जो सभी केस फर्जी थे, जिनमें रूपराम व धनपाल बरी हो चुके है तथा एक केस मामूली रूपराम पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जिसमें भी उनके रूपराम आदि के बरी होने की संभावना है। चूंकि रूपराम व धनपाल भले व्यक्ति है और इनका कोई भय व आतंक क्षेत्र में व्याप्त नहीं है। इस कारण वह न्यायालय में बताने आया है।

25– इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि रूपराम व धनपाल कुल तीन भाई है, जिन पर करीब 60 बीघा जमीन है, जो इनके पैतृक जमीन है। उसकी मेढ़ से जमीन नहीं मिली है। उसे जानकारी है कि रूपराम व धनपाल पर 1991 का धारा 307 भा०द०सं० व 1993 का 302, 120 बी भा०द०सं० का मुकदमा का था, जो छूट गये है। उसे नहीं पता कि इन केस का वादी मुकदमा कौन था और किसकी मृत्यु हुई। धनपाल पर फोरेस्ट एक्ट के दो मुकदमे चले थे, जो छूट गये। रूपराम पर गुण्डा एक्ट का मुकदमा चला था, जो छूट गया था। इतनी उसे नहीं याद कि किस न्यायालय से कब छूटे थे। मुकदमा जब छूटे थे तब वह न्यायालय में साथ नहीं आया था। गांव के लोगों से सुना था कि मुकदमें छूट गये है। उन लोगों के नाम उसे आज याद नहीं है। वर्ष 2007 का धारा 307, 324 भा0 दं0 सं0 का मुकदमा रूपराम व धनपाल पर चला था, जो छूट गया था। गांव के लोगों से सुना था कि मुकदमें छूट गये है। आज उसके पास न्यायालय से कोई सम्मन नहीं गया था उसे धनपाल बुलाकर लाये है। यह कहना गलत है कि रूपराम व धनपाल उसके गांव के है। इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में सही बात न बता रहा है। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण का क्षेत्र में भय व आतंक है और यह कहना भी गलत है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में गवाहों ने भय से गवाही न दी है। यह कहना भी गलत है कि उसने आज अभियुक्तगण से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह आज न्यायालय में सही बात न बता रहा है।

26– साक्षी डी0 डब्लू0–2 के रूप में **साहिल दुबे** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पत्नी शिवानी दुबे ग्राम कबार की प्रधान है। वह अपने गांव के रूपराम व धनपाल को जानता है तथा इनसे उसकी अक्सर बातचीत भी होती है। ये दोनों खेती करते है। वह भी खेती करता है। इन दोनों की किसी प्रकार की गांव अथवा क्षेत्र में कोई अनैतिक गतिविधियों नहीं है। ये दोनों लोग गांव में रहकर सभी लोगों से अच्छी तरह बात करते है तथा अनैतिक रूप से धनोपार्जन नहीं करते है और न ही दंगा फसाद करते है। इन दोनों पर रंजिश की वजह से फौजदारी के मुकदमें गांव की पार्टीबंदी के कारण झूंठे लगा दिये थे, जो सभी केस फर्जी थे, जिनमें रूपराम व धनपाल बरी हो चुके है तथा मात्र रूपराम पर एक केस मामूली सा अदालत में चल रहा है जिसमें उनके बरी होने की पूर्ण संभावना है। रूपराम व धनपाल भले व्यक्ति है और दोनो का समाज में किसी प्रकार का भय व आतंक नहीं है।

27– इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि रूपराम व धनपाल सगे भाई है, जिन पर कई मुकददमे चले थे। धारा 307, 302 भा0 दं0 सं0 के गुण्डा एक्ट के 452 भा०दं०सं० के मुकदमें चले थे, जो फर्जी थे। इन फर्जी मुकदमें के बारे में उसने विवेचक और एस०एस०पी० महोदय को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। आज उसे रूपराम व धनपाल गवाही देने के लिए

बुलाकर लाये थे। उसे आज गवाही के लिए कोई सम्मन नहीं मिला है। वर्ष 2021 से उसकी पत्नी गांव कबार की प्रधान है। इन लागों ने उसकी पत्नी को अपना वोट दिया या नहीं उसे जानकारी नहीं है। दो मुकदमें रूपराम पर वर्ष 1991 व 1993 के दिखाये गये है, उस समय उसका जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए उसे गांव वालों ने बताई थी ये मुकदमें फर्जी मुकदमें है। उसे राजू पुत्र विजयपाल व दीपक पुत्र सेती लाल ने बताया था। इन लोगों ने लगभग एक से दो साल पहले बताया था, जो मुकदमें दिखाये गये है वो चल रहे थे या नहीं उसे जानकारी नहीं है। वह न्यायालय में आज गवाही देने पहली बार आया है। वह इससे पहले कभी न्यायालय में नहीं आया। उस पर भी कोई मुकदमा चला है। धनपाल पर पेड़ काटने के मुकदमें चले हो उसे जानकारी नहीं है। वह भविष्य में प्रधान या अन्य चुनाव प्रतिभाग करेगा या नहीं वह अभी नहीं बता सकता है। रूपराम व धनपाल का गांव में कोई डर या आंतक नहीं हैं। भले आदमी है। वह आज न्यायालय में बिना किसी भय व डर के बिना किसी आर्थिक लाभ से नहीं आया है। वह स्वेच्छा से गवाही देने आया है। यह कहना भी गलत है कि चुनाव के लोभ लालच व वोट आदि के कारण झूॅठा बयान दे रहा है।

28– धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–
   (i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या
   (ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0डी0पी0एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0दं0सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विध्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती

उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है। **गैंग की परिभाषा–**से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

29– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर डकैती, पुलिस पर हमला व सरकारी कर्मचारियों को दबाव में लेकर नियम विरूद्ध कार्य करने जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–06 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

30– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य हैं, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। गैंगचार्ट में दर्शित मु०अ०सं०–79/1991, अ०सं०–74/1993, अ०सं०–368/2007, अ०सं०–348/2007 में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं और निर्णय की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

31– मैने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

–निष्कर्ष–

32– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण रूपराम एवं धनपाल के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज अ0सं0–79/91, धारा 307 भा0दं0सं0, थाना सकीट जिला एटा बनाम रूपराम एवं धनपाल, अपराध संख्या 74/93, धारा 147,148,149,302,201,120बी, भा0दं0सं0 बनाम रूपराम, अपराध संख्या 14/2006 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना सकीट बनाम रूपराम, अपराध संख्या 368/2007 धारा 307,504,324 भा0दं0सं0 बनाम रूपराम एवं धनपाल, अपराध संख्या 348/2007, धारा 324,325 भा0दं0सं0 बनाम रूपराम, अपराध संख्या–735/2001 धारा 448,352,504,506 भा0दं0सं0 बनाम रूपराम तथा अपराध संख्या 385/2002, धारा 4/10 एफ0 एक्ट, थाना सकीट जिला एटा बनाम धनपाल, अपराध संख्या 118/2004 धारा 4/10 एफ0 एक्ट थाना सकीट बनाम धनपाल के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ०सं०–79/1991, धारा 307/34 भा०दं०सं०, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–673/1992 राज्य बनाम छंगे आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 21–07–1995 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/3 लगायत 90ब/4, अ०सं०–74/1993, धारा 147, 302/149 भा०दं०सं०, थाना रिजोर, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–828/1994 राज्य बनाम ध्रुवा उर्फ ध्रुव कुमार आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 29–03–1997 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/6 लगायत 90ब/8, अ०सं०–368/2007, धारा 307, 323, 323/34, 506 भा०दं०सं०, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–458/2008 राज्य बनाम रूपराम आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 05–10–2009 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/10 लगायत 90ब/13, अ०सं०–348/2007, धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सकीट, जिला एटा से सम्बन्धित दाण्डिक वाद संख्या–805/2012 राज्य बनाम वदन सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 17–07–2013 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/15 लगायत 90ब/17 दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में दोषमुक्त किया जा चुका है।

33– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–01 उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 तथा एफ०आई०आर० प्रदर्श क–02 को अपने हस्ताक्षर से साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 व 03 में यह कथन किया है कि उसने अभियोग पंजीकृत कराने की पूर्व उसके संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं था कि गैंगचार्ट में उल्लिखित अभियोग में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं। यह जानकारी करने का प्रयास किया था कि अभियोगों की अद्यतन स्थिति क्या है, तो न्यायालय में विचाराधीन होना पाया था। उसे जानकारी नहीं है कि गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमें अ0सं0 79/91, 74/93, 385/2002, 118/2004, 14/2006, 368/2007 व 348/2007 अदालत से छूट चुके है। उसके संज्ञान में नहीं है कि धनपाल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह थाना सकीट क्षेत्र में लगभग तीन माह नियुक्त रहा था। इन तीन माह में उसने इनकी गतिविधियॉ खराब देख ली थी।

34– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई

साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

35– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एच०सी०पी० दिनेश बाबू को पी0 डब्लू0–02 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अ 0 सं0–402/2007 को पूर्व प्रदर्श क–02 व जी०डी० रपट नं०–31 को प्रदर्श क–03 के रूप में स्वयं के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

36– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त एच०सी० सालिगराम को पी0 डब्लू0–03 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अ 0 सं0–368/2000 को प्रदर्श क–04 के रूप में स्वयं के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

37– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–04 विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित मु0 अ 0 सं0–368/2007 का वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, किन्तु अपनी जिरह के पेज क्रमांक 02 में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण रूपराम व धनपाल उसके गांव के है। इन्होंने उसकी मॉ हरदेवी, भाई सूरजपाल, भतीजा भगवान सिंह उर्फ बॉबी की व अन्य परिवारीजन की कोई मारपीट घटना वाले दिन नहीं की थी तथा न ही ये लोग उसने मौके पर देखे थे तथा न ही तमंचे से कोई फायर इन लोगों द्वारा किया गया था। उसने गांव वालों के बहकावे में आकर इस घटना की रिपोर्ट रूपराम, धनपाल व सुलह सिंह के विरुद्ध कर दी थी, जबकि सत्यता यह है कि ये दोंनो लोग मौके पर नहीं थे तथा उसका ये केस अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 7 एटा की अदालत से दिनांक 05.01.2009 को छूट चुका है। इसमें सभी अभियुक्तगण बरी हो चुके है।

38– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में निरीक्षक हरिकेश राय पी0 डब्लू0–05 को परीक्षित कराया गया है, जो कि वर्तमान प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा धीरज प्रसाद के लेख व हस्ताक्षर को पहचानते हुए आरोप पत्र को धीरज प्रसाद के हस्ताक्षर से प्रदर्श–05 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी के द्वारा अपने कथानक में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे गिरोहबंद अधिनियम के किसी अवयव की पूर्ति हो रही हो। उक्त साक्षी एक प्रकार से औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा अपने कथन में थानाध्यक्ष सकीट धीरज प्रसाद सिंह द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

39– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक राममूर्ति को पी0 डब्लू0–06 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अ 0 सं0–118/2004 को प्रदर्श क–06 को स्वयं के हस्ताक्षर से साबित करते हुए चिक एफ 0 आई 0 आर 0 अ 0 सं0–385/2002 को प्रदर्श क–07 के रूप में सी०सी० छत्रपाल सिंह के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया है तथा अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–08 को तत्कालीन एस०एस०पी० द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। उक्त साक्षी मात्र औपचारिक साक्षी है, उसके द्वारा गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित मुकदमों के सम्बन्ध में दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा ऐसा कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया गय है, जिससे यह परीलक्षित हो कि अभियुक्तगण का समाज में भय, आतंक विद्यमान था तथा इनकी उपस्थिति से लोक व्यवस्था खतरे में थी।

40– पत्रावली में अभियोजन के द्वारा साक्षी उपनिरीक्षक अशोक विक्रान्त (पी0 डब्लू0–01), दिनेश बाबू (पी0 डब्लू0–02), सालिगराम (पी0 डब्लू0–03), विनोद कुमार (पी0 डब्लू0–04), हरिकेश राय (पी0 डब्लू0–05) तथा राममूर्ति (पी0 डब्लू0–06) को

परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षीगण के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जिससे समाज में भय व्याप्त रहा हो। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं की गयी है और न ही विवेचकगण के द्वारा कोई साक्ष्य संकलित करने की चेष्टा की गयी है, जिससे गिरोहबन्द अधिनियम के अपराध प्रमाणित हो जाये। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव के रूप में बचाव साक्षी कमलेश (डी०डब्लू०–01) तथा साक्षी साहिल दुबे (डी०डब्लू०–02) को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा स्पष्टतः कथन किया गया है कि रामपाल व धनपाल भले व्यक्ति हैं। दोनों का समाज में किसी प्रकार का भय व आतंक नहीं है। अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है, जो उनकी विश्वसनीयता को खण्डित करता है।

41– इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा पुलिस मेनुअल के पैरा–253 व 254 के अनुपालन में कोई गिरोह पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण का कोई गिरोह था, जिसका इन्द्राज गिरोह पंजी रजिस्टर में था। प्रारूप संख्या–45 में भी गिरोह पंजी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि गिरोह तथा गिरोह के सभी सदस्य थाने पर रखी जाने वाली गिरोह पंजी में नामित हैं।

42– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–05 पर दिनांक 09–01–2009 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–137 प्र०स0/6–पु०–11–2003–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004 प्रचलित था। उक्त शासनादेश के पैरा नं०–07 में स्पष्टतः उल्लेख है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकरण में विवेचना प्रारम्भ में हरिकेश राय उपनिरीक्षक के द्वारा की गयी है। तत्समय वे थाना सकीट पर ही पदस्थ थे। अभियोग पत्र धीरज प्रसाद सिंह थानाध्यक्ष सकीट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण में विवेचना भी ऋजु नहीं है।

43– अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी **निरीक्षक हरिकेश राय** (पी0 डब्लू0–05) एवं अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक अशोक विक्रांत (पी0 डब्लू0–01) के द्वारा न्यायालय में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया, जिससे यह स्थापित हो कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त की है और भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी

है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

44– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित मु0 अ0 सं0–79/1991 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/3 लगायत 90ब/4) में पारित निर्णय दिनांकित 21–07–1995, मु0 अ0 सं0–74/1993 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/6 लगायत 90ब/8) में पारित निर्णय दिनांकित 29–03–1997, मु0 अ0 सं0–368/2007 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/10 लगायत 90ब/13) में पारित निर्णय दिनांकित 05–10–2009, मु0 अ0 सं0–348/2007 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 90ब/15 लगायत 90ब/17) में पारित निर्णय दिनांकित 21–07–1995 माध्यम से अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जा चुके है तथा फेहरिस्त 91ब/1 से अ०सं०–14/2006, धारा 3 यू०पी० गुण्डा एक्ट (आदेश की प्रति कागज संख्या 91ब/2) में पारित आदेश दिनांकित 11–04–2011 के माध्यम से कार्यवाही समाप्त की गयी है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक व वादी को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए एच सी 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

45– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

46– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित मामला अ०सं०–79/1991, अ०सं०–74/1993, अ०सं०–368/2007, अ०सं०–348/2007 तथा अ०सं०–14/2006 के प्रकरण में अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

अभियुक्तगण **रूपराम** एवं **धनपाल** को **जी0एस0टी0 संख्या–55/2009** उ0प्र0 राज्य बनाम रूपराम आदि, **मुकदमा अपराध संख्या–402/2007**, **थाना सकीट**, जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 19.03.2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 19.03.2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690